26/3/18 पत्रावली पेश [illegible]
वकील अप्रार्थी बहस हेतु समय
चाहते हैं। एक अवसर दिया जाकर
दिनांक 28/3/18 को पेश हो।

SDO

28/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन
उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी
की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस
मे बताया कि रिव्युकर्ता की ओर से एक
रिव्यु रेस न्यायालय मे दिनांक 25/1/17
को पेश की गई जो अदम हाजरी में
रिव्युकर्ता के विरुद्ध खारिज कर दिया गया।
इसलिए द्वितीय रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया गया है। प्रकरण में असमान रूप से
पक्षकारगण के मध्य विभाजन कर असमान

28/3/18

डिक्री पारित करने से मौके पर विवाद अधिक हो गया है। सभी पक्षकारगण भूमि में समान रूप से अपने हिस्से अनुसार बटवारा कराने के अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी ने बहस मे बताया कि रिव्युकर्ता ने दुबारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो अपोषणीय होने से खारीज योग्य है। रिव्युकर्ता प्रार्थीगण ने अवत प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री पारित होने के 2 साल पश्चात् पेश किया है। जो परिसीमा अधिनियम के अनुसार समय की मर्यादा मे नहीं होने से स्वत: ही खारीज होने योग्य है। रिव्युकर्ता प्रार्थीगण को निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया था इस न्यायालय में निर्णय से पूर्व बंटवारे नामे के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने हेतु भी समय दिया गया था। किन्तु रिव्युकर्ता प्रार्थीगणो ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नही कराई एवं निर्णय को सागोपांग स्वीकार किया। अब यह रिव्यु का प्रार्थना पत्र अपोषणीय होने से खारिज किया जाना आवश्यक है।

उभय पक्ष के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि 6: माह की समाप्ति के बाद प्रस्तुत पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र परिसीमा से बाधित। वर्जित हो गया और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन देरी को क्षमा करने के लिए कोई आवेदन नही किया गया है। द्वितीय या पश्चात्वर्ती पुनर्विलोकन नही हो सकता, क्योंकि यह आदेश 47, नियम 9 सि.प्र.स. द्वारा वर्जित है। अत: रिव्युकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

SDO
28/3/18

Scanned by CamScanner